रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112026-277823
CG-DL-E-10112026-277823

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5904] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2026/कार्तिक 19, 1948
No. 5904] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2026/KARTIKA 19, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2026

का.आ. 6143(अ).— जबकि मेसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बिल्डिंग 7 ए, लेवल 5, डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम, हरियाणा– 122002 में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना, "राजस्थान के बाड़मेर में मेसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के 300 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट (साथ ही मेसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन सोलर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के 110 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट) के लिए कनेक्टिविटी देने हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने के लिए आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/15/2026-पावर ग्रिड(एमओपी) दिनांकित 09.01.2026 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना, "राजस्थान के बाड़मेर में मेसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के 300 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट (साथ ही मेसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन सोलर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के 110 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट) के लिए कनेक्टिविटी देने हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों, हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी में) दिनांक 06.02.2026 , राजस्थान पत्रिका (हिन्दी में) दिनांक 07.02.2026 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 14.03.2026 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था।इसके पश्चात, मेसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने 04.08.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर और समाचार पत्रों के प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर 02 टिप्पणी/अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और मेसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनका उत्तर दिया गया है और आगे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

मेसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 03.08.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन(नो) का मार्ग राजस्थान के संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साझा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना,"राजस्थान के बाड़मेर में मेसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के 300 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट (साथ ही मेसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन सोलर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के 110 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट) के लिए कनेक्टिविटी देने हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

• ग्रीन इंफ्रा क्लीन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सोलर पावर प्रोजेक्ट (300 MW) और ग्रीन इंफ्रा क्लीन सोलर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के सोलर पावर प्रोजेक्ट (110 MW) का कॉमन पूलिंग स्टेशन (जो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के पुसद गाँव में स्थित हैं) – फतेहगढ़ IV (सेक्शन-II) (ISTS) पूलिंग स्टेशन, D/c टावरों पर 220 kV S/c लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान राज्य के भीतर निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्रस	गावों के नाम	तहसील	जिला	राज्य
1	गूंगा, कुमावत की धानी, पुसद , चक गूंगा, रत्ता कुम्हारों की धानी, कुम्हारों की धानी	शिव	बाड़मेर	राजस्थान

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स ग्रीन इंफ्रा क्लीन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/96/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 9th November, 2026

S.O. 6143(E).— Whereas M/s Green Infra Clean Wind Technology Private Limited, the applicant with its registered address at Building 7A, Level 5, DLF Cyber city, Gurugram, Haryana – 122002 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme, "Transmission system for providing connectivity to M/s Green Infra Clean Wind Technology Private Limited for its 300 MW Solar power project (along with 110 MW solar power project of M/s Green Infra Clean Solar Farms Private Limited) in Barmer, Rajasthan".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/15/2026-POWER GRID(MOP) dated 09.01.2026 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme, "Transmission system for providing connectivity to M/s Green Infra Clean Wind Technology Private Limited for its 300 MW Solar power project (along with 110 MW solar power project of M/s Green Infra Clean Solar Farms Private Limited) in Barmer, Rajasthan".

M/s Green Infra Clean Wind Technology Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers, Hindustan Times (in English) dated 06.02.2026, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 07.02.2026 and in Weekly Gazette of India dated 14.03.2026 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Green Infra Clean Wind Technology Private Limited has submitted an affidavit dated 04.08.2026 declaring that 02 nos. observation/representation was received within two months from the date of Publication in the official gazette of Government of India and within 2 months from the date of newspaper publications and the same have been answered by M/s Green Infra Clean Wind Technology Private Limited, and that no further representations were received.

M/s Green Infra Clean Wind Technology Private Limited had submitted an Undertaking dated 03.08.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Rajasthan and Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon'ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon'ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to M/s Green Infra Clean Wind Technology Private Limited for its 300 MW Solar power project (along with 110 MW solar power project of M/s Green Infra Clean Solar Farms Private Limited) in Barmer, Rajasthan". The following overhead line is covered under this scheme:

- Common Pooling station of Green Infra Clean Wind Technology Pvt. Ltd. Solar power project (300 MW) & Green Infra Clean Solar Farms Pvt. Ltd. Solar power project (110 MW) (located in Pushad Village, District Barmer, Rajasthan) – Fatehgarh IV (Section-II) (ISTS) Pooling Station 220 kV S/c line on D/c towers.

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan:

S.N.	Name of the Villages	Tehsil	District	State
1	Gunga, Kumawat Ki Dhani, Pushad, Chak Gunga, Ratta Kumharon Ki Dhani, Kumharon Ki Dhani	Sheo	Barmer	Rajasthan

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Green Infra Clean Wind Technology Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Green Infra Clean Wind Technology Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical /expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/96/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA